

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष-2022-23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-196, दिनांक-21.06.2022 एवं आवंटनादेश संख्या-247, दिनांक-19.07.2022 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रु०) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 2000.00 लाख (बीस करोड़ रु०) कुल 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन इस कार्यालय को प्राप्त है।

प्राप्त आवंटनादेश की कंडिका-4 के अनुसार आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची आवंटन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि की निकासी कर SNA के खाता में संधारित करेंगे तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित IA को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 की कंडिका-3 के अनुरूप Drawing Limit राशि निर्धारित करेंगे एवं कंडिका-7 "The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the IAs who Should be able to draw funds on real time basis from the SNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts " का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

2. इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-1218, दिनांक-20.07.2022 के द्वारा उपर्युक्त प्राप्त आवंटन की निकासी कर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, सरकुलर रोड, लालपुर, रांची के SNA खाता संख्या-115101000497, IFS Code- ICIC0000292 में राशि हस्तान्तरित की गई है। उक्त हस्तान्तरित राशि में से निम्न IA के बैंक खाता में राशि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	प्रक्षेत्र	जिला	हस्तान्तरित की जाने वाली राशि	प्रक्षेत्रवार हस्तान्तरित की जाने वाली राशि
1.	TSP	चाईबासा	11688387	11688387
2.		दुमका	18214613	
कुल			29903000	18214613
			29903000	29903000

कुल (दो करोड नित्यानवे लाख तीन हजार रू०) मात्र

राशि का भुगतान वित्त मंत्रालय भारत सरकार

4. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020, दिनांक-23.03.2021 एवं F.No. 1(13)/PFMS/FCD/2022, दिनांक-07.07.2021 के अंतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

5. संबंधित उपायुक्त एवं संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। वरीय नियंत्री पदाधिकारी आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची होंगे।

6. योजना के क्रियान्वयन, भुगतान, नियंत्रण एवं अनुश्रवण का दायित्व संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा। वरीय उत्तरदायित्व संबंधित जिला के उपायुक्त का होगा।

7. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निदेश/मार्गदर्शन:-

(i) विभागीय संकल्प संख्या-2101, दिनांक-08.09.2014

(ii) विभागीय पत्रांक-2555, दिनांक-26.07.2019

(iii) विभागीय आदेश संख्या-1328, दिनांक-04.05.2022

8. वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में ई-कल्याण पोर्टल पर निबंधित जिन अहर्ताधारी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान नहीं किया जा सका हो, उन छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत की गई राशि से नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उपावटित राशि की निकासी के पश्चात किसी कारणवश छात्र/छात्राओं के बचत खातों में PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अन्तरित नहीं होने पर बैंक द्वारा परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण/जिला कल्याण पदाधिकारी के बैंक खाता पर राशि वापस की जाएगी तथा वापस की गई राशि का छात्रवार पूर्ण विवरण को उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इस समस्या के निराकरण के लिए परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण/जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। किन्तु वित्तीय वर्ष के अंत तक कोषागार की ई-पेमेंट प्रक्रिया के तहत PFMS के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत खातों में छात्रवृत्ति की राशि अन्तरित नहीं होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग द्वारा कर्णाकित शीर्ष में जमा कराने हेतु परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण/जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

10. यदि किसी छात्र/छात्रा को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार को किसी भी अन्य छात्रवृत्ति की योजना का लाभ मिल रहा हो तो उसे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उपायुक्त लाभकों को देय छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान की जाँच सुनिश्चित करते हुए संतुष्ट हो लेंगे कि वास्तव में छात्र-छात्राओं को राशि प्राप्त हुई है या नहीं।

12. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

13. उपावंटित राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

14. संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी जाँचोपरान्त राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

15. संबंधित परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी योजना से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह निम्न प्रपत्र में विभाग को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे:-

क्र०	विद्यालय का नाम	भुगतान की राशि			लाभुक			अभ्युक्ति
		दिवाकालीन (डे स्कॉलर) के लिए	छात्रावासी (होस्टेलर) के लिए	कुल (3+4)	दिवाकालीन (डे स्कॉलर) छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रावासी (होस्टेलर) छात्र-छात्राओं की संख्या	कुल (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. तत्संबंधी इस कार्यालय के द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक-1789, दिनांक-17.11.2022 को रद्द किया जाता है।

18. लेखा शाखा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची को आदेश दिया जाता है कि आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, सरकुलर रोड, लालपुर, राँची के SNA खाता संख्या-115101000497, IFS Code-ICIC0000292 में हस्तान्तरित राशि 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़ रु०) मात्र में से उपर्युक्त विवरणी के अनुसार संबंधित 1A के बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक: 03/अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति उपावंटन(2022-23)-08/2022-2015 राँची, दिनांक-21-12-2022
उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।
प्रतिलिपि-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय/लेखा शाखा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, राँची/आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, सरकुलर रोड, लालपुर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:- 2015 राँची दिनांक: 21-12-2022
उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित प्रमण्डलीय कल्याण उप निदेशक, झारखण्ड/संबंधित परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/बजट शाखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/कम्प्यूटर सहायक, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची/श्री अमित कुमार, C.G.G. के प्रतिनिधि/श्री आसिफ, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची (उपावंटन को कल्याण विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

ज्ञापांक:- 2015

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

राँची दिनांक: 21-12-2022

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।